UPMO01000

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, मुरादाबाद
उपस्थित–चंचल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ID N0.-UP6403
सत्र परीक्षण संख्या 734 / 2018

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी / अभियोजन

बनाम

इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन निवासी असालतपुरा बड़ी मस्जिद के पास गुलशन नगर मामू वाली गली थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक / अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–426 / 2017
धारा–8 / 20 स्वापक ओषधि और मन
:प्रभावी अधिनियम
थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद

–निर्णय–

1– पुलिस थाना–गलशहीद मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–426 / 2017, अन्तर्गत धारा–8 / 20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के मामले में अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सत्र न्यायालय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया। सत्र न्यायालय से यह पत्रावली इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुई। तदोपरांत अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन का इस न्यायालय द्व ारा यह विचारण किया जा रहा है।

2– फर्द बरामदगी / प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है किदिनांक 8.11.17 को उ0नि0 रविन्द्र कुमार वास्ते गस्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था डियूटी एक रोकथाम जरायम चौकी क्षेत्र असालतपुरा थाना गलशहीद में मामूर थे। गस्त करते हुये भूडा चौराहा पर आये तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बडे अहाते के पास एक व्यक्ति चरस वेच रहा है इस सूचना पर विश्वास बुलाया गया भड़ा चौराहे उपस्थित आये मकसद बताकर आयप में एक दूसरे की जामा तलाशी ले टेकर के जरिये लैपर्ड पर नियुक्त कर्मणरीगणं का0 विवेकपाल व हो0गार्ड0 परमानन्द को यह विश्वास किया कि किसी के पास जर्न सम्बन्धी वस्त नही है रास्ते में आने जाने वाले लोगो को मकसद बताकर साथ चलने को कहा तो कोई व्यक्ति रंजिश के कारण साथ चलने व गवाही को तैयार नही हुआ बामजवरी हम पुलिस वाले मय मुखबिर के बड़े अहाते की तरफ चल दिये बड़े अहाते के मेन गेट आगे कोने पर मुखविर खास ने मोटर साईकिल रुकवा कर मुबधिर बास टूटी दीवार के होल से इशार आरके बताया जो व्यक्ति नीली जैकिट पहने बड़ा है व दाहिने हाथ में शैला पकडे है यह यही व्यक्ति है जो चरस बेच रहा है व मुखबिर चला गया हम पुलिस बलों ने एक बारगी दबिश देकर व आश्यक चान प्रयो करके टूटी हुई दीवार के होल के दाहिने 20 कदम की दूरी पर समय करीब 23..00 बजे पकड लिया नाम पता पुछते हुये जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन बताया और बताया कि उसके पास चरस है। इस पर उ0नि0 द्वारा अभियुक्त से अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने देने को कहा गया तो अभियुक्त ने कहा कि जब आपने मुझे पकड़ ही लिया

तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते है। उ०नि० द्वारा जरिये मोबाइल फोन ब्द महोदय से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। उ0नि0 द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का पालन करते हुए इसकी जामा तलाशी ली तो पकडे गये इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस उपरोक्त की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडे एक थैले जिस पर राजे सूट कलेक्शन लिखा जिसे खोलकर देखा तो उसमे कई रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ व खुद सुधा व हमराहीगणो को सूंघाया तो चरस की गन्द आ रही है तब चरस को तोडने हेतु तराजू व बाट को कां0 विवेकपाल को लाने थाने भेजकर मंगवाई गई बरामद चरस का वजन किया गया तो थैले में 0.750 ग्राम जिसमे से 50 ग्राम बतौर नमूना चरस नमूना लेकर शेष माल को उसी थैले में रखकर व नमूना चरस को सफेद कपडे रखकर सील कर अलग अलग सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया अभि० इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत कराकर हिरासत पुलिस मे लिया गया था। फर्द मौके पर उ0नि0 द्वारा बिजली व टार्च की रोशनी में लिखकर पढ़कर हमराहीयान को सुनाकर गवाह के हस्ताक्षर बनवाये गये थे।

3– उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 426/2017, धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का अभियोग, थाना–गलशहीद जिला–मुरादाबाद पर पंजी कृत किया गया। विवेचक द्वारा सर्वप्रथम वादी की तहरीर का अंकन केस डायरी में किया गया। घटना का नक्शा–नजरी तैयार किया गया। बयान वादी व एफ०आई०आर० लेखक के बयान अंकित किये गये। विवेचना के दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी की फर्द का अंकन केस डायरी में किया गया तथा फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी के गवाहान के बयान लेखबद्व किये गये, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त की तथा विवेचक द्वारा विवेचना की अन्य विधिक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन के विरूद्ध धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का प्रथम दृष्टया आरोप पाते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 26.06.2019 को धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप विरचित किया गया, आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 एस0आई0 मौ0 फयूम व पी0डब्लू0–2 निरीक्षक रविन्द्र कुमार को शपथ पर परीक्षित कराया गया है। साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्र साबित किये गये तथा अभियोजन प्रपत्रों का समर्थन किया गया है, अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

6– इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जुर्म स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का अपराध संस्वीकृति कथन एवं बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। 0.750 ग्राम चरस होना स्वीकार किया है तथा उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने का कथन किया। अभियुक्त का बयान अपराध संस्वीकृति अंकित किया गया, जिसमें उसने स्वेच्छया से जुर्म इकबाल करने का कथन किया। अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष न करवाकर, पुलिस अधिकारी से करवाने हेतु सहमति देने का कथन किया और कहा कि वह गरीब है। परिवार में बूढ़ी माता है, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसके अतिरिक्त कोई कमाने वाला नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करेगा। शांतिपूर्वक जीवनयापन करेगा। जेल में बितायी गयी अवधि पर छोड़ दिया जाए। अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड

प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने घटना को सही बताया और अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी0डब्लू0–02 के साक्ष्य के सम्बंध में कथन किया कि सही बयान दिया। मुकदमा सही चलना कहा और सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुए कथन किया कि वह गरीब है। कोई पैरोकर नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करेगा। लगभग सात माह से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है। जेल में बितायी अवधि पर छोड़ दिया जाये।

7– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

8– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 8.11.17 को उ0नि0 रविन्द्र कुमार वास्ते गस्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था डियूटी एक रोकथाम जरायम चौकी क्षेत्र असालतपुरा थाना गलशहीद में मामूर थे। गस्त करते हुये भूडा चौराहा पर आये तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बडे अहाते के पास एक व्यक्ति चरस वेच रहा है इस सूचना पर विश्वास बुलाया गया भड़ा चौराहे उपस्थित आये मकसद बताकर आयप में एक दूसरे की जामा तलाशी ले टेकर के जरिये लैपर्ड पर नियुक्त कर्मणरीगणं का0 विवेकपाल व हो0गार्ड0 परमानन्द को यह विश्वास किया कि किसी के पास जर्न सम्बन्धी वस्त नही है रास्ते में आने जाने वाले लोगो को मकसद बताकर साथ चलने को कहा तो कोई व्यक्ति रंजिश के कारण साथ चलने व गवाही को तैयार नही हुआ बामजवरी हम पुलिस वाले मय मुखबिर के बड़े अहाते की तरफ चल दिये बड़े अहाते के मेन गेट आगे कोने पर मुखविर खास ने मोटर साईकिल रुकवा कर मुबधिर बास टूटी दीवार के होल से इशार आरके बताया जो व्यक्ति नीली जैकिट पहने बड़ा है व दाहिने हाथ में शैला पकडे है यह यही व्यक्ति है जो चरस बेच रहा है व मुखबिर चला गया हम पुलिस बलों ने एक बारगी दबिश देकर व आश्यक चान प्रयो करके टूटी हुई दीवार के होल के दाहिने 20 कदम की दूरी पर समय करीब 23..00 बजे पकड लिया नाम पता पुछते हुये जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन बताया और बताया कि उसके पास चरस है। इस पर उ0नि0 द्वारा अभियुक्त से अपनी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने देने को कहा गया तो अभियुक्त ने कहा कि जब आपने मुझे पकड़ ही लिया तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते है। उ०नि० द्वारा जरिये मोबाइल फोन ब्र महोदय से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। उ0नि0 द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का पालन करते हुए इसकी जामा तलाशी ली तो पकडे गये इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस उपरोक्त की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडे एक थैले जिस पर राजे सूट कलेक्शन लिखा जिसे खोलकर देखा तो उसमे कई रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ व खुद सुधा व हमराहीगणो को सूंघाया तो चरस की गन्द आ रही है तब चरस को तोडने हेतु तराजू व बाट को कां0 विवेकपाल को लाने थाने भेजकर मंगवाई गई बरामद चरस का वजन किया गया तो थैले में 0.750 ग्राम जिसमे से 50 ग्राम बतौर नमूना चरस नमूना लेकर शेष माल को उसी थैले में रखकर व नमूना चरस को सफेद कपडे रखकर सील कर अलग अलग सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया अभि० इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत कराकर हिरासत पुलिस मे लिया गया था। फर्द मौके पर उ0नि0 द्वारा बिजली व टार्च की रोशनी में लिखकर पढ़कर हमराहीयान को सुनाकर गवाह के हस्ताक्षर बनवाये गये थे।

9– अभियोजन की ओर से अपने उक्त कथन को साबित करने हेतु साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी0डब्लू0–02 को शपथ परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 मौ0 फयूम ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये चिक एफ0आई0आर0 को

प्रदर्श क–1 व कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया है तथा निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये सहमति पत्र को प्रदर्श क–3, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–4, गिरफ्तारी मेमो को प्रदर्श क–5 व अभियुक्त से बरामद माल के कपडा पुलिन्दे को वस्तु प्रदर्श–1 व बरामद चरस को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

10– अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन पर अंर्तगत धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप लगाया गया है। विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियुक्त से बरामद पदार्थ चरस होना कहा गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी0डब्लू0–02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन प्रपत्रों का समर्थन करते हुए अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को सही बताया, गवाह द्वारा सही साक्ष्य देना कहा तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया। विचारण के दौरान ही अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। अभियुक्त ने अपने अपराध की संस्वीकृति करते हुए घटना को सही बताया और अपने कब्जे से 0.750 ग्राम चरस की बरामदगी स्वीकार की है और उसने बिना किसी दबाव के स्वेच्छया जुर्म इकबाल करने का कथन किया है। साथ–ही–साथ उसने कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी है कि जुर्म इकबाल करने पर सजा हो सकती है। अभियुक्त के द्वारा की गयी अपराध संस्वीकृति बिना किसी दबाव स्वैच्छिक है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा की गयी अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन उपरोक्त अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

11– अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन पुत्र सलीम सत्र परीक्षण संख्या–734/2018, मुकदमा अपराध संख्या–426/2017, अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद, के अभियोग में जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है और जेल से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुनवाई हेतु पेश हो।

(चंचल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6403

दिनांक–08.03.2026

12– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर लंच बाद सुनवाई हेतु पेश हुई।

13– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया कि वह गरीब है। कोई पैरोकार नहीं है। परिवार में बूढी माता है, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसके अतिरिक्त कोई कमाने वाला नहीं है। अब कोई अपराध नहीं करेगा। शांतिपूर्वक जीवनयापन करेगा। जेल में बितायी गयी अवधि पर छोड़ दिया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

14– अभियुक्त के कब्जे से 0.750 ग्राम चरस बरामद होने का आरोप है। चरस की अल्प मात्रा 100 ग्राम एवं वाणिज्यिक मात्रा 1000 ग्राम है। अभियुक्त के कब्जे से 0.750 ग्राम चरस बरामद होन का आरोप है। यहां यह उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी में अभियुक्त से 0.750 ग्राम चरस बरामद होना दर्शित किया गया है और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप भी इस मात्रा का विरचित किया गया है। **प्रश्नगत मामले में अभियुक्त लगभक सात माह से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है।** मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में व अभियुक्त द्वारा मामले में की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति तथा बरामद माल की मात्रा व अभियुक्त की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि आदि को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी राय में प्रस्तुत मामले में अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं मु०–1,000 /–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होता है।

दण्डादेश

15– अभियुक्त इकबाल उर्फ अब्बा पुलिस पुत्र लडडन पुत्र सलीम को सत्र परीक्षण संख्या–734/2018, मुकदमा अपराध संख्या–426/2017, अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद के मामले में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं मु०–1,000–(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता है। अर्थदण्ड़ न अदा करने की दशा में अभियुक्त 02 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

16– अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर उसे अविलम्ब जिला कारागार मुरादाबाद, प्रेषित किया जाये।

17– अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये एवं निर्णय की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद को भी प्रेषित की जाये।

18– अभियुक्त के पास से दर्शित बरामदशुदा माल मुकदमाती, बाद मियाद अपील स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार नष्ट किया जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(चंचल)
दिनांक–08.03.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6403

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(चंचल)
दिनांक–08.03.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्या0 सं0–07, मुरादाबाद।
ID N0.-UP6403